फर्द अहकाम

नारायणी [illegible] बनाम उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

नाम न्यायालय उपखण्ड

केस संख्या 253/2019

ग्राम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] पक्ष उपस्थित। पत्रावली में साक्ष्य पेश करने हेतु [illegible] एक मौका अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	22/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/9/24 को पेश हो।
	10/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 22/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादीगण बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अस्थाई खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार होने पर वाद मिसिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़